उत्तरांचल शासन
महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग
संख्या 930/XVII(2)/06
देहरादून, दिनांक : 11-10-2006

अधिसूचना

उत्तरांचल {उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में अग्रेतर संशोधन करने के लिये--

" उत्तरांचल {उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में (संशोधन) नियमावली, 2006"

1--संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारम्भ

(1) यह नियमावली " उत्तरांचल {उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 में (संशोधन) नियमावली, 2006 कही जायेगी।

(2) यह 01 नवम्बर, 2005 से प्रवृत्त होगी।

2-- नियम-- 5 के उपनियम--4 (2) में संशोधन : उत्तरांचल {उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार (अधीनस्थ) सेवा नियमावली, 1992} अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 जसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है के, नियम-- 5 के उपनियम--4 (2) में नीचे स्तम्भ--1 के स्थान पर स्तम्भ--2 में रखा गया नियम प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा;

स्तम्भ--1 विद्यमान नियम	स्तम्भ--2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार(अधीनस्थ) सेवा नियमावली 1992 के भाग--3 में नियम 5 के उपनियम 4 (2) में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों (जिनकी आयु 45 वर्ष से कम हो परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय--समय पर अधिसूचित की जायें, के अभ्यर्थियों को नियमानुसार छूट प्रदान की जायेगी) की मुख्य सेविका के पदों पर तैनाती हेतु न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल और जिन्होंने 10 वर्ष की निरन्तर सेवा पूर्ण कर ली हो हाई स्कूल, इण्टरमीडियेट, स्नातक के संयुक्त मेरिट पर बनी सूची से साक्षात्कार के आधार पर चयन समिति के माध्यम से भरी जायेगी।	उत्तर प्रदेश बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार(अधीनस्थ) सेवा नियमावली 1992 के भाग--3 में नियम 5 के उपनियम 4(2) में, पचास प्रतिशत हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दस वर्ष की निरन्तर मानदेयसेवा पूरी कर ली हो और पैंतालिस वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो नियम--15 "ख" के अनुसार चयन समिति के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जायेंगे। परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के जो सरकार द्वारा समय--समय पर अधिसूचित की जायें, के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आयु में छूट अनुमन्य होगी।

आज्ञा से

(राधा रतूड़ी)
सचिव